भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2139

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं का प्रतिनिधित्व

2139. श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 1 जुलाई, 2025 की स्थिति के अनुसार, महिला और बाल विकास मंत्रालय में, इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों सहित, सभी स्तरों (समूह क, ख, ग और घ) पर अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकारियों, विशेषकर निर्णय लेने वाले वरिष्ठ स्तरों पर अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) सरकार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित बैकलॉग रिक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या उक्त रिक्तियों को भरने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान कोई विशेष भर्ती अभियान/पहल शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): निर्णय लेने वाले स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) और संवर्ग (कैडर) नियंत्रण प्राधिकरणों, जैसा भी मामला हो, द्वारा मंत्रालय में तैनात किया जाता है।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) में 53 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें आरक्षित पद भी शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक

'महिलाओं का प्रतिनिधित्व' के संबंध में श्री धर्मेंद्र यादव द्वारा पूछे गए लोक सभा में दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2139 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार कार्मिकों के समूह-वार और श्रेणी-वार पद:

क्र.सं.	मंत्रालय और उसके संगठन	समूह	पदस्थ कर्मचारी			
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	एमडब्ल्यूसीडी (मुख्य सचिवालय)	क	38	11	5	12
		ख	37	27	2	22
		ग	14	12	2	21
		घ	-	-	-	-
2.	केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)	क	10	4	-	2
		ख	2	-	-	-
		ग	3	1	1	1
		घ	-	-	-	-
3.	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)	क	1	1	-	-
		ख	1	-	-	-
		ग	-	-	-	-
		घ	-	-	-	-
4.	सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी)	क	27	10	2	11
		ख	20	9	3	10
		ग	22	9	1	9
		घ	7	10	3	4

5. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) में श्रेणीवार विवरण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सभी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं और उनकी सेवा पुस्तिकाएं संबंधित संवर्ग (कैडर) नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा रखी जाती हैं।

*****